

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : २७७२५५  
६-११/२०१७

आशीष कुमार वगैराह बनाम आशीष कुमार वगैराह

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	११/२०१७	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------------------------------	---------	----------------------	----------------

12.10.2021

पत्रावली पेश हुई। आवाज दिलाई गई। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थी की मृत्यु के सम्बन्ध में सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वकील प्रार्थी, प्रार्थी महन्त रसिक बिहारी शरण को फौत होना जाहिर किया है और आगे पैरवी के कोई निर्देश प्राप्त न होना जाहिर किया है। आज प्रार्थी के न तो कोई प्रतिनिधि उपस्थित है और न ही प्रार्थी के एडवोकेट उपस्थित है। वरवक्त सुनवाई वकील अप्रार्थीगणों द्वारा यह तथ्य जाहिर किये गये हैं कि इस आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार, सांगानेर द्वारा पृथक से रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी पुष्टि दास्त रा० रेफ० सं०-३३०/२०१६ उनवानी सरकार बनाम आशीष कुमार वगैराह ता०पे०-१२.१०.२०२१ से होती है। ऐसी स्थिति में जबकि इस आराजी का तहसीलदार सांगानेर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया हुआ है और वह लम्बित है, तो इस प्रकरण के प्रार्थी की मृत्यु होने तथा एडवोकेट को आगे पैरवी के कोई निर्देश प्राप्त न होने के कारण यह रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र निष्फल (Infructuous) हो जाता है। अतः उक्त विवेचनानुसार रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र निष्फल (Infructuous) हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दास्त रेफरेन्स प्रकरण संख्या-३३०/२०१६ उनवानी सरकार बनाम आशीष कुमार वगैराह के हमफीता रहे।  
निर्णय आज दिनांक १२.१०.२०२१ को सरे इजलास सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय)  
जयपुर